SHRI R. K. MHALGI: May I know if it Central Government has recently issued instructions to the State Governments in respect of complete implementation of the ceiling laws?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: I have been writing letters. Recently also I have written letters.

It has been mentioned in my arguments earlier.

MR. SPEAKER: Primarily it is a State subject.

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, सीलिंग कानून जो बना था उसका उद्देश्य यह था कि अधिक से अधिक जमीन ले करके गरीबों में बांट दी जाये। जब सीलिंग कानून बना तो उसके बाद जिन बड़े-बड़े लोगों के पास अधिक जमीन थी उन्होंने अपनी जमीन को बचाने के लिए कुछ ऐसे रास्ते निकाले जिससे कि उनको जमीन न देनी पड़े। ऐसी हालत में पहले जो अनुमान था कि इतनी जमीन मिलेगी जोकि गरीबों में बांटी जायेगी उतनी जमीन नहीं मिल सकी—यह बात आकड़ों से सिद्ध होती है। इसमें गड़बड़ी यह हुई है कि जितने बड़े-बड़े जमींदार थे उन्होंने अपनी जमीन अपने छोटे छोटे बच्चों के नाम करवा दी। पांच साल, दस साल के बच्चों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम उन्होंने अपनी जमीन करवा दी। तो उस समय लोगों ने अपनी जमीन बचाने के लिए कानून में जो लूपहोल निकाल लिया था अपनी जमीन को बचाने के लिए, क्या सरकार उस कानून को बदल कर परिवार के अनुसार जमीन की सीलिंग करने का कानून बनाने पर विचार कर रही है जिस से कि गरीबों को जमीन मिल सके ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : माननीय सदस्य को शायद पता नहीं है, पहले भी परिवार की डेफनीशन करके जमीन देने का प्राविजन किया गया था। उन्होंने जो यह कहा कि बेटों के नाम जमीन करके जमीन बचा ली गई तो यह हर कानून में लिखा है कि फलां डेट के बाद जो भी जमीन के ट्रांसफर होंगे वह इनवैलीड माने जायेंगे और उनको बिल्कुल कंसीडर नहीं किया गया। हर कानून में यह प्राविजन रखा गया था।

श्री मही लाल : वह कौन सी तारीखें थी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : अलग-अलग डेट्स रखी गई है।

SHRI K. A. RAJAN: I would like to know from the hon. Minister, is there a thinking in the Northern States to change the ceiling over and above the direction given by the Centre Government?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: There is no such thinking. Northern States in some respects have done better than some of the States.

बालाघाट, मध्य प्रदेश में रेंजर्स प्रशिक्षण केन्द्र

*463. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक :**
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री मध्य प्रदेश में बेतूल में फारेस्ट रेंजर्स प्रशिक्षण कालेज के बारे में 19 दिसम्बर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 470 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य के बालाघाट जिले में एक फारेस्ट रेंजर्स प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाये, और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त केन्द्र कब तक खोल दिया जायेगा ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is still under consideration.

श्री लक्ष्मी नारायण नायक : क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव कब से चल रहा है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: कुछ समय से अलग अलग जगहों से जो प्रपोजल आये थे उनको कंसीडर करने के बाद फैसला कर दिया गया कि बालाघाट में स्टेशन खोला जायेगा ।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक : क्या हम आशा करें कि जल्दी से प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिया जायेगा ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हमारी कोशिश है कि 1978 से वहां पर शिक्षा शुरू हो जाय ।

MR. SPEAKER: Question No. 453, Shri Sarat Kar. Not here. I think Question List is over. This is really a day to be celebrated. Now, Papers to be laid on the Table. Dr. Chunder.

11.56 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annual Report and Review and certified Accounts of Indian Institute of Technology, Madras for 1976-77 and certified Accounts of Visva-Bharati University—Santi Niketan for 1975-76

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): Sir, with your permission,

I beg to lay on the Table—

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology, Madras, for the year 1976-77.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Indian Institute of Technology, Madras, for the year 1976-77.

(iii) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the documents mentioned at (i) and (ii) above. [*Placed in Library. See* No. LT-1897/78].

(2) A copy of the Certified Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Madras for the year 1976-77 along with the Audit Report thereon, under sub-section (4) of section 28 of the Institutes of Technology Act, 1961.

(3) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the document mentioned at (2) above. [*Placed in Library. See* No. LT-1898/78].

(4) (i) A copy of the Certified Accounts (Hindi and English versions) of the Visva-Bharati University, Shantiniketan, for the year 1975-76 together with the Audit Report thereon.

(ii) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above papers. [*Placed in Library. See* No. LT-1899/78].

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: You will have to repeat.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: You have to repeat the list again of those who are absent if they have come again.

MR. SPEAKER: Only the authorised one....

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Somebody might have also come.

MR. SPEAKER: Only if somebody is authorised. Please take out the rule. I thought I should call if it were only authorised.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: You will have to repeat it again.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: You must re-cycle the whole list.